न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, नगर उंटारी ।

नामांतरण अपील वाद सं० 14/16-17

रमाशंकर सिंह कुशवाहा वगै० ——— अपीलार्थीगण

बनाम

जगदीश सिंह कुशवाहा वगैरह ——— प्रत्यार्थीगण

आदेश

14.11.2017

प्रस्तुत वाद अंतिम निस्तार हेतु उपस्थापित। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से अंचल अधिकारी, रमना द्वारा वरसात नामांतरण वाद सं० 509/15-16 में दिनांक 26.3.2016 को पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर किया गया। अपील आवेदन-पत्र समय सीमा के बाद दायर किया गया है, जिसके लिए विलम्ब को दूर करने हेतु धारा 5 के तहत आवेदन-पत्र दिया गया है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। विलम्ब को दूर करते हुए अपील आवेदन-पत्र अंगीकृत किया जाता है। संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय से मूल अभिलेख की मांग करें।

उभय पक्ष उपस्थित। निम्न न्यायालय से मूल अभिलेख प्राप्त।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि वरसात नामांतरण हेतु कोई आवेदन-पत्र नहीं दिया गया है। अंचल अधिकारी के द्वारा वरसात

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

नामांतरण बिना अपीलार्थी के आवेदन के ही आदेश फलक में अपीलार्थी के नाम का जिक्र करते हुए नामांतरण की कार्यवाई कर दी गई है, जबकि अपीलार्थी के द्वारा नामांतरण रोकने हेतु आपत्ति आवेदन-पत्र दिया गया था, जिसपर बिना सुने अपील आवेदन-पत्र स्वीकृत कर दिया गया।

अंचल अधिकारी के द्वारा बिना अपीलार्थी के आवेदन-पत्र लिए बटवारा नामांतरण किया गया है, जो सर्वथा अनुचित एवं न्याय संगत नहीं है।

अतः अंचल अधिकारी रमना द्वारा दिनांक 26.3.2016 को पारित आदेश निरस्त करते हुए अपील आवेदन-पत्र स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अपीलार्थी अपने दावे के समर्थन में निम्नांकित कागजात दाखिल किए हैं:—

(1) सरकारी मालगुजारी रसीद —— 1 फर्द
(2) सरकारी मालगुजारी रसीद श्याम गंगा — 1 फर्द
(3) केवाला की छाया प्रति केदारनाथ सिंह — 4 फर्द
(4) केवाला की छाया प्रति ,, — 5 फर्द

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी दोनों एक ही वंशज के सदस्य हैं, पंचायती बटवारा अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी के बीच आपसी बटवारा के आधार पर नामांतरण की कार्यवाई अंचल अधिकारी द्वारा किया गया है, पुनः T.S

आदेश की क्रम सं. और तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार वाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित ३
	वाद सं. 14/05 के द्वारा न्यायालय के स्तर से बटवारा किया गया। उक्त आदेश के आलोक में बटवारा नामांतरण हेतु आवेदन-पत्र दिया गया। तत्पश्चात अंचल अधिकारी, रमना के द्वारा बटवारा नामांतरण की कार्रवाई की गई है। अपीलार्थी के द्वारा यह कहना गलत होगा कि बटवारा की जानकारी नहीं है। यदि इन्हें जानकारी नहीं होती तो आपत्ति आवेदन-पत्र कैसे दिया जाता है। अंचल अधिकारी के द्वारा आदेश फलक में अपीलार्थी का नाम कैसे प्रविष्ट किया गया। उनके कार्यालय से संबंधित है। उसमें प्रत्यार्थी के द्वारा कोई तथ्य को नहीं छुपाया गया है। अंचल अधिकारी द्वारा की गई नामांतरण उचित है। अतः अपीलार्थी का अपील आवेदन पत्र अस्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी रमना द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.3.16 को यथावत बहाल रखने का अनुरोध किया गया है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों एवं उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों एवं अंचल अधिकारी, रमना के मूल अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि अंचल अधिकारी द्वारा बिना अपीलार्थी के आवेदन या सहमति पत्र प्राप्त के ही बटवारा नामांतरण की स्वीकृति दी गई है। जिसमें प्रक्रिया	

आदेश की क्रम सं. और तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित ३
	का पालन नहीं किया गया है। अतः अंचल अधिकारी रमना के द्वारा वरपारा नामान्तरण वाद सं 509/15-16 में दिनांक 26.3.2016 को पारित आदेश निरस्त करते हुए अपील आवेदन-पत्र स्वीकृत किया जाता है। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अंचल अधिकारी रमना को भेजें। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। ह० 14/1/17 भूमि सुधार उपसमाहर्ता नगर उंटारी। ह० 14/1/17 भूमि सुधार उपसमाहर्ता नगर उंटारी।	